संख्या : 42/2016/403/छप्पन-2016-98/2013

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 20 मई, 2016

विषय : आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु क्रय की जाने वाली भूमि की दर एवं कुल भूमि मूल्य का प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1027-29/ए0एस0-38-89/2016, दिनांक 02.3.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आगरा में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु काश्तकारों की 23.3181 हेक्टेयर भूमि आपसी समझौते के आधार पर क्रय करने तथा गॉव सभा की 0.323125 हेक्टेयर भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए रूपये 1,53,67,03,990/- की धनराशि के प्रशासकीय अनुमोदन का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- जनपद आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु आवश्यक भूमि क्रय/व्यवस्था करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को नि:शुल्क रूप में उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु तहसील सदर के 03 ग्रामों- धनौली, बल्हेरा एवं अभयपुरा में काश्तकारों से आपसी समझौते के आधार पर क्रय किये जाने हेतु क्रमश: 20.8029 हेक्टेयर, 0.2380 हेक्टेयर व 2.2772 हेक्टेयर अर्थात कुल 23.3181 हेक्टेयर भूमि तथा पुनर्गहण हेतु ग्राम धनौली में 0.2002 हेक्टेयर एवं ग्राम अभयपुरा में 0.122925 हेक्टेयर अर्थात कुल 0.323125 हेक्टेयर ग्राम सभा की/सरकारी भूमि चिन्हित की गयी है। राजस्व विभाग के सुसंगत शासनादेशों दिनांक 19.3.2015 एवं 20.11.2015 में विहित व्यवस्था के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर क्रय एवं पुनर्ग्रहण हेतु चिन्हित उक्त भूमि का मूल्य रूपये 1,53,67,03,990/- (रूपये एक अरब तिरपन करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) आकलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1.	काश्तकारों की 23.3181 हेक्टेयर निजी भूमि का मूल्य	1,49,03,95,600.00
2.	भूमि पर अवस्थित सम्पत्तियों का मूल्य	2,67,90,890.00
3.	पंजीयन शुल्क	50,00,000.00
4.	बैनामा लिखाई आदि पर व्यय	47,000.00
5.	ग्राम सभा की/सरकारी 0.323125 हेक्टेयर भूमि का मूल्य	1,44,70,500.00
	योग	**1,53,67,03,990.00**

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आगरा में भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु निजी भूमि का क्रय एवं ग्राम समाज की/सरकारी भूमि का पुर्नग्रहण करने हेतु भूमि के वर्तमान सर्किल रेट की चार गुनी दर और उक्त चार गुनी दर के आधार पर आकलित भूमि आदि के कुल मूल्य रूपये 1,53,67,03,990/- (रूपये एक अरब तिरपन करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार नौ सौ नब्बे मात्र) पर भूमि क्रय/पुनर्ग्रहण हेतु राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हैं।

4- यह भी सूच्य है कि जनपद आगरा स्थित भारतीय वायुसेना के एयरपोर्ट पर सिविल एन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि आदि की व्यवस्था के लिये रूपये 28,40,00,000/- (रूपये अट्ठाइस करोड़ चालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

5- कृपया भूमि के क्रय हेतु वांछित अग्रेतर कार्यवाही शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि सिविल एन्क्लेव का समयबद्ध निर्माण सम्पन्न हो सके।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 42/2016/403(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- मण्डलायुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
5- जिलाधिकारी, आगरा।
6- निदेशक, भूमि अध्यासि, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in